(ग) जी नहीं, राजकोट दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति अपनाई जाती है।

(घ) जी नहीं, आवेदन पत्रों की मंजूरी तथा पुजीकरण के लिए राशि जमा कराने का कार्य सभी कार्य दिवसों में किया जाता है।

(ङ) उक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की निशानी शाख में डाक का वितरण

†1806. **श्री मनोहर सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निशानी शाखा डाकघर की डाक का वितरण अरसू उप डाकघर के माध्यम से करवाया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या विभागग को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) निशानी शाखा डाकघर का लेखा कार्यालय रिमंड उप डाकघर से बदल कर दिनांक 30.9.94 से अरसू उप डाकघर कर दिया गया ताकि डाक का त्विरित पारेषण सुगम बनाया जा सके। इस मौजूदा व्यवस्था में डाक उसी दिन वितरित कर दी जाती है जबकि पहले की व्यवस्था में डाक एक दिन विलंब से वितरित की जाती थी।

(ग) और (घ) एक सुझाव यह मिला था कि 30.9.94 से पहले की व्यवस्था को ही जारी रखा जाए। तथापि उपयुर्क्त (क) और (ख) मे उल्लिखित कारणों से इस सुझाव को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

Telephone Adalats in Gujarat

1807. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of telephone adalats held in different parts of Gujarat during the last three years, year-wise and district-wise;

(b) the total number of cases resolved in these adalats, year-wise; and

(c) the steps Government propose to take to popularise telephone adalats in the State?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) As per State *(See* below)

(b) Year	No. in these Adalats
1993-94	
1994-95	
1995-96	

(c) Due publicity is given in the leading newspapers sufficiently in advance of the date of the Adalat, inviting grievances which could not be settled earlier.

Statement

Gujarat Telecom Circle Telephone Adalats Held During 1993-1996

SI. No.	Name of District	1993-94	1994-95	1995-96
		No. of Adalats		
1.	Ahmedabad Gandhinagar	2	3	
2.	Vodadara	2		
3.	Surat	—		
4.	Rajkot	4		
5.	Kheda	1		
6.	Mehsana	3		
7.	Bhavnagar	1	—	
8.	Junagadh	2		
9.	Jamnagar	3		
10.	Kutch-Bhuj	1		
11.	Bulsar & Dang Ahwa	1	—	
12.	Surendra Nagar	—	—	
13.	Panch Mahal	—	—	
14.	Sabar Kantha	—	—	
15.	Banas Kantha	—	—	
16.	Bharuch	—	—	
17.	Amreli	1	—	

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में टेलीफोन कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

1808. **श्री राधवजी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक है,

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपयुर्क्त आवेदकों को टेलीफोन प्रदान करने में क्या कठिनाई है, और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में टेलीफोन कनेकशनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 528 व्यक्ति दर्ज है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से कलेक्शन प्रदान नही किए जा सके।

(i) विदिशा और जिले के अन्य स्थानों पर एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध न होना।

(ii) विदिशा में पर्याप्त उपस्कर संस्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध न होना ।

(iii) केबल पेपर्स की अनुपलब्धता के कारण कुछ क्षेत्र तकनीकी रूप से अव्यवहार्य है और कुछ लंबी दूरी के कनेक्शन है।

(ग) मार्च, 97 के अंत तक लगभग 240 कनेक्शन दिए जाने की आशा है और शेष कनेक्शन मार्च, 1999 तक दिए जाने की संभावना है।

गुजरात में माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगाया जाना

1809. **श्रीमती आनंदी ज0 पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगगे कि :**

(क) क्या गुजरात में 1993-94 और 1994-95 के दौरान दूरसंचार माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगाये गए हैं,

(ख) यदि हो, तो उनकी पिछले तीन वर्षो के दौरान वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन सभी ट्रांसमीटरों की क्षमता एकक समान है,

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

(ङ) सरकार आगामी तीन वित्तीय वर्षो में गुजरात के किन-किन जिलों में इन ट्रांसमीटरों को लगाने का विचार रखती है,

(च) क्या सरकार आगामी तीन वित्तीय वर्षों में गुजरात के सभी जिलों में स्वचालित दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का भी विचार रखती है,

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए है। [देखिए परिशिष्ट 180,अनुपत्र सं0 45]